[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 29th June, 2013

No. S.O. 57 /H.A. 16/1994/S. 32/2013 :— In exercise of the powers conferred by section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994) and in consultation with the State Election Commission, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, in rule 71, —

(i) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) The Divisional Commissioner shall, within a period of thirty days of the notification of the names of the members elected to the Corporation, convene and preside over the first meeting of the newly constituted Corporation at forty-eight hours notice to be delivered at the ordinary place of residence of elected members. The notice shall clearly state that the oath of allegiance shall be administered to the members present and that the election of Mayor shall also be held in this meeting.

(1A) The Commissioner shall, within a period of sixty days of the notification of the names of the members elected to the Corporation convene a meeting of the Corporation at forty-eight hours notice to be delivered at the ordinary place of residence of members. The notice shall clearly state that the election of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor shall be held in this meeting to be presided over by the Mayor in the presence of the Commissioner."; and

(ii) sub-rule (4) shall be omitted.

P. RAGHAVENDRA RAO
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

51257—L.R.—H.G.P., Chd

Scanned by CamScanner

भाग - III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जून, 2013

संख्या का०आ० 57/ह०अ० 11/1994/धा० 32/2013 :– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 में, नियम 71 में,–

(i) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

"(1) निगम के निर्वाचित सदस्यों के नामों की अधिसूचना के तीस दिन की अवधि के भीतर मण्डल आयुक्त निर्वाचित सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर भेजे जाने वाले अड़तालीस घण्टे के नोटिस पर नव गठित निगम की प्रथम बैठक का आयोजन करेगा तथा अध्यक्षता करेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जायेगा कि इस बैठक में उपस्थित सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलवाई जाएगी तथा मेयर का निर्वाचन भी करवाया जायेगा।

(1क) निगम के निर्वाचित सदस्यों के नामों की अधिसूचना के साठ दिन की अवधि के भीतर आयुक्त सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर भेजे जाने वाले अड़तालीस घण्टे के नोटिस पर निगम की बैठक का आयोजन करेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जायेगा कि इस बैठक में वरिष्ठ उप–मेयर तथा उप–मेयर का निर्वाचन, मेयर की अध्यक्षता तथा आयुक्त की उपस्थिति में करवाया जायेगा।"; तथा

(ii) उप–नियम (4) का लोप कर दिया जाएगा।

पी० राघवेन्द्र राव
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

Scanned by CamScanner